सं0—252 / Fs / Hs / 2000—27 (सा) / 2000

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, लखनऊः दिनाँक—23 सितम्बर, 2000

विषयः— जनसंख्या जागरूकता सप्ताह 16—22 अक्टूबर, 2000 मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि जनसंख्या स्थायीकरण करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 11 जुलाई, 2000 को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति की घोषणा की गयी है उक्त नीति के क्रियान्वयन में जन सामान्य का आवाहन करने एवं मुख्य बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षण उद्देश्य से प्रदेश में 16—22 अक्टूबर, 2000 तक जनसंख्या सप्ताह मनाने का निश्चय किया गया है इस सम्बन्ध में आप सभी को दिनांक 7 सितम्बर, 2000 को तिलक हाल, विधानभवन, लखनऊ में आयोजित बैठक में अवगत कराया जा चुका है।

जागरूकता सप्ताह के सफल क्रियान्वयन के लिये आवश्यक है कि प्रदेश भर में एक समान ग्राम्य सारिणी एवं गतिविधियाँ संकलित की जायें। जिससे यह सदर प्रस्तुत किया जा सके कि आने वाले समय में जनसंख्या नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राजकीय, स्वैच्छिक एवं निजी क्षेत्रों के समन्वित प्रयास से जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप स्तरीय सेवा प्रदान करते हुए सघन प्रयास किये जायेंगे।

1. **जिला स्तरीय समन्वय समिति** : जागरूकता सप्ताह मानने हेतु जिला स्तर पर एक समन्वय समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कर लें, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के अतिरिक्त विकास पंचायत, शिक्षा, सूचना, बाल विकास, नगर विकास आदि विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त जिला / नगर पंचायत के कुछ प्रतिनिधियों को नामित कर जिला स्तरीय प्रथम बैठक 27.9.2000 तक कर ली जाये। इस बैठक में जनसंख्या नीति के मुख्य बिन्दुओं से अवगत कराते हुए जनसामान्य तक जनसंख्या नीति का प्रसार करने की आवश्यकता निरूपित की जाये। साथ ही जनसंख्या सप्ताह के आयोजन में विभिन्न विभागों को स्पष्ट रूप से कार्य जिम्मेदारी आवंटित कर दी जाये। इसके अतिरिक्त नगरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशाल परिवार कल्याण शिविरों के बारे में सभी विभागों को बताते हुए सफल आयोजन हेतु उनकी जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाये।

1.1 **विभिन्न विभागों की विभागीय बैठक** : विभागीय बैठकों हेतु समय सारिणी निर्धारित कर ली जाये जिससे जन संसाधन की आवश्यकता, उपलब्धता, कार्य विवरण एवं कार्यवाही की रणनीति बना ली जाये एवं विभागीय अधिकारियों के मध्य कार्य का स्पष्ट आवंटन कर दिया जाये। उक्त विस्तृत योजना जिला समन्वय समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत / चर्चाकर अंतिम रूप प्रदान किया जाये।

1.2 मुख्य चिकित्साधिकारी जिला एवं महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों की एक बैठक तत्काल आयोजित कर जिला स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों तथा विशाल नसबन्दी शिविर / शिविरों के आयोजन की हर स्तर हेतु सूक्ष्म कार्य योजना

बना कर हर स्थल पर कर्मचारी, औषधि एवं अन्य सामग्री का आंकलन कर तद्नुसार प्रत्येक शिविर हेतु टीम बनाकर जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे एवं नसबन्दी शिविरों सफलता हेतु अधिकतम संख्या में लाभार्थियों को सेवा स्थल तक लाये जाने की रणनीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे एवं अन्य विभागों का भी अधिकतम सहयोग प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी से निरन्तर सम्पर्क बनाते हुए कार्यवाही करेंगे।

1.3 समन्वय समिति की दूसरी बैठक में उपलब्ध संसाधनों के क्रम में क्रियान्वयन रणनीति को अन्तिम रूप प्रदान किया जाये। उक्त बैठक 6.10.2000 तक संपादित कर ली जाये।

2. मुख्य रूप से प्रत्येक जनपद में निम्न कार्यवाही प्रस्तावित है :

प्रथम दिवस – 16 अक्टूबर, 2000

2.1 जिला स्तरीय रैली / सभा : दिनांक 16 अक्टूबर, 2000 को प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर जिला स्तरीय रैली निकाली जायेगी। रैली के पश्चात सभा की अध्यक्षता हेतु उपलब्धता के अनुसार किसी मंत्री / विधायक / जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा किसी सांसद को आमंत्रित किया जाये। रैली में सम्मिलित होने हेतु निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, जिला पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाये। उक्त रैली के आयोजन में राजकीय विभागों से यथासम्भव अधिकतम सहयोग प्राप्त किया जाये।

2.2 रैली का मार्ग, आरम्भ स्थान, समाप्ति स्थान, आरम्भ का समय, यातायात व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था आदि का निर्धारण समन्वय समिति की दूसरी बैठक में कर लिया जाये।

2.3 रैली हेतु पर्याप्त संख्या के बैनर, प्लेकार्ड, बैज, नारे आदि तैयार कर लिये जायें। उक्त प्रचार सामग्री में निम्न संदेश आपके विचारार्थ प्रस्तुत हैं :

संदेश / नारे

1. उन्नीस बरस में करें विवाह,
   बनायें बेटी का खुशहाल परिवार।
2. कच्ची उम्र में शादी, लाये अनेक परेशानी
3. परिवार में हो नारी का सम्मान,
   फैसलों में हो उसका योगदान।
4. शिक्षित नारी–स्वस्थ परिवार,
   शिक्षित समाज–सफल राष्ट्र।
5. बेटी को भी मिले शिक्षा व पोषण,
   बन्द करो महिला का शोषण।
6. आपके गांव का स्वास्थ्य, पंचायत के हाथ
   परिवार नियोजन अपनायें, सुखी परिवार बनायें।
7. समाज है आपका–जिम्मेदारी भी आपकी।
8. समुदाय की हो पूरी भागीदारी,
   यह है प्रधान जी की जिम्मेदारी।
9. दो बच्चों में अन्तर लायें,
   माँ–बच्चे का स्वास्थ्य बढ़ायें।

2.4 रैली की समाप्ति कर रैली जन सभा में तब्दील हो जायेगी, जिसमें बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभाव, समाज के हर वर्ग हो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं यथेष्ट जीवन स्तर उपलब्ध कराने हेतु उत्पन्न चुनौतियों के निराकरण में समिति परिवार की आवश्यकता एवं जनसंख्या नीति के मुख्य बिन्दुओं पर अवगत कराये जाने हेतु चर्चा की जाये।

3. द्वितीय दिवस 17 अक्टूबर, 2000

3.1 प्रत्येक विकास खण्ड पर समाज कल्याण विभाग की **मातृत्व लाभ योजना एवं बालिका समृद्धि योजना** शिविर के पात्र लाभार्थियों (19 वर्ष से अधिक आयु की महिलायें एवं दो बच्चों की सीमा तक) को भारत सरकार द्वारा देय राशि का वितरण किया जाये। इस हेतु चिन्हित लाभार्थियों को पूर्व में ही सूचित कर दिया जाये तथा सम्बन्धित ग्राम प्रधानों को भी इन योजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाये। सामान्यतया यह राशि विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध रहती है। खण्ड विकास अधिकारी को अपने क्षेत्र हेतु जिम्मेदार बनाया जाये।

3.2 प्रत्येक विकास खण्ड पर धन वितरण के साथ स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाये। क्षेत्रीय उप मुख्य चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी उक्त शिविरों की व्यवस्था के लिये उत्तरदायी होंगे। प्रभारी चिकित्साधिकारी शिविर हेतु टीम का चयन अपने स्तर से कर औषधि एवं अन्य समस्त आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करेंगे। उक्त व्यवस्था हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य केन्द्र पर समस्त कर्मचारियों की दो सप्ताह पूर्व बैठक कर शिविर संचालन की कार्य योजना एवं रणनीति बनाकर शिविर का सफल आयोजन सुनिश्चित करेंगे। उक्त स्वास्थ्य शिविर में मातृ शिशु कल्याण सेवायें यथा ए.एन.सी., पी.एन.सी., टीकाकरण, आर.टी.आई./एस.टी.आई. आइरन फोलिक एसिड, विटामिन 'ए' का घोल, ब्लडप्रेशर नापने आदि की व्यवस्था की जाये। इस हेतु स्थान एवं कर्मचारियों का चयन कर लिया जाये। उनको आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा कर समय से सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में पर्याप्त प्रचार–प्रसार सामग्री, बैनर आदि के माध्यम से समय अधिक एवं सामाजिक विकास के लिये/छोटे परिवार की अवधारणा का संदेश प्रदान करने पर बल दिया गया जाये।

33. प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर एक बहू बेगम सम्मेलन आयोजित किया जाये। उक्त आयोजन हेतु मुख्य/वरिष्ठ नगर अधिकारी, पी0डी0 (डूडा) को जिम्मेदार बनाया जाये। सम्मेलन में शासन की महिला एवं बाल कल्याण क्षेत्र में की जा रही सेवाओं एवं नीतियों के बारे में अवगत कराते हुए महिलाओं तथा परिवार के स्वास्थ्य एवं समग्र विकास में छोटे परिवार की अवधारणा की आवश्यकता के सम्मुख उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाये। इस हेतु नगरीय क्षेत्र विशेष कर घनी मलिन बस्तियों में व्यापक प्रचार–प्रसार कर नव विवाहित महिलाओं को सम्मेलन में आमंत्रित किया जाये। महिला एवं बाल कल्याण क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं एवं स्वैच्छिक संगठनों का सम्मेलन की उपयोगिता एवं सफलता हेतु सहभागिता प्रदान की जाये। सम्मेलन हेतु स्थल चयन, नव, प्रकाश, ध्वनि, सुरक्षा जल आदि की सामान्य व्यवस्था समय से सुनिश्चित की जाये।

4. दिनांक 15–19 अक्टूबर, 2000

जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए समस्त ग्राम प्रधानो को जनसंख्या नीति के मुख्य बिन्दुओं एवं उनके दायित्व से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खण्ड पर एक परिचयात्मक कार्यशाला आयोजित की जायेगी। इस हेतु जनपद को दो भागों में बांट कर आधे भाग में दिनांक 18 को एवं शेष में दिनांक 19 को कार्यशाला आयोजित की जाये।

4.1 उक्त कार्यशाला हेतु स्थल चयन कर बैठने, जलपान आदि सामान्य प्रबन्ध की व्यवस्था पूर्व से ही तय कर ली जाये। जिला विकास अधिकारी डी0पी0आर0ओ0/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी समन्वय हेतु जिम्मेदार बनाये जायें।

4.2 सभी प्रधानों कार्यशाला में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाये।

4.3 प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/क्षेत्र पंचायत प्रमुख/खण्ड विकास अधिकारी/पंचायत विभाग के अधिकारियों को चयनित कर नामित किया जाये।

4.4 बिन्दु 4.3 के चयनित अधिकारियों को समय से मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी स्तर से प्रधानों को प्रदान की जाने वाली सूचनाओं/जानकारी से अवगत कराया जायेगा। उक्त हेतु आवश्यक सामग्री सिफ्सा द्वारा प्रदान की जायेंगी।

4.5 परिचयात्मक कार्यशाला में टीकाकरण, मातृ शिशु सेवायें, नसबन्दी शिविरों, स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में जानकारी देते हुए विशेष रूप से आर्थिक रूप से समाज के निर्बल वर्ग एवं दूरस्थ असेक्ति क्षेत्रों में सेवा विस्तार/आच्छादन की आवश्यकता से परिचित कराया जाये। जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं एवं निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी प्रदान की जाये। उक्त हेतु प्रचार–प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, उक्तानुसार कार्यशाला संपादित की जाये।

5. दिनांक 20 अक्टूबर, 2000

5.1 वाद विवाद प्रतियोगिता

5.1.1 जनपद के प्रत्येक हाई स्कूल एवं इण्टरमीडियेट, कालेजों के छात्रों/छात्राओं की वाद विवाद प्रतियोगिता निम्न विषयों में से किसी एक को चुनते हुए प्रतियोगिता आयोजित की जाये। जिला विद्यालय निरीक्षक संचालन हेतु उत्तरदायी बनाये जायें।

वाद विवाद के विषय :–

1. महिलाओं के लिये आरक्षण–सही या गलत
2. महिला सशक्तीकरण के लिये आर्थिक स्वतन्त्रता आवश्यक
3. पुरुषों की उदासीनता–जनसंख्या विस्फोट का कारण
4. जनसंख्या नियंत्रण के लिये कानून से अधिक जन जागरूकता जरूरी
5. विवाह के लिये न्यूनतम आयु का निर्धारण कितना उचित
6. जनसंख्या नियंत्रण में जन प्रतिनिधियों का सहयोग आवश्यक
7. परिवार कल्याण कार्यक्रम में प्रोत्साहन–उचित या अनुचित
8. सरकार की दो बच्चों की नीति को बढ़ावा–उचित या अनुचित
9. अधिक बच्चे–माँ के लिये सुखदायी या स्वास्थ्य के लिये खतरा।

5.1.2 स्कूलों एवं विद्यालयों की सूची बना ली जाये एवं प्रत्येक विद्यालय हेतु प्रेक्षक चयनित कर लिये जायें।

5.1.3 प्रधानाचार्यों को निर्देश प्रदान किये जायें एवं वाद विवाद के कार्यक्रमों में अभिभावक को भी दर्शक/श्रोता के रूप में आमंत्रित किया जाये।

5.1.4 वाद विवाद संचलित कर प्रथम तीन छात्रों/छात्राओं को चुना जाये।

5.1.5 पुरूस्कृत छात्रों को पुरूस्कार प्राप्ति हेतु जिला स्तरीय कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाये।

5.2 ग्रामीण विशाल परिवार कल्याण शिविर

5.2.1 प्रत्येक जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों हेतु एक ब्लाक अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या एक से अधिक केन्द्र पर विशाल परिवार कल्याण शिविर का आयोजन किया जाना है। उक्त हेतु जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे। शिविर के संचालन में सभी विभागों का योगदान भी सुनिश्चित किया जाये।

5.2.2 मुख्य चिकित्सा अधिकारी सम्बन्धित : प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या केन्द्रों का चयन करेंगे। शल्यक/बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, लैब टेक्नीशियनों, सहायक आदि का चयन कर टीमों का गठन कर समय से टीम तथा औषधि एवं अन्य सामग्री शिविर स्थल पर उपलब्ध कराना तथा आम के परिवहन, जलपान आदि की सामान्य व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की 10 दिन पूर्व से ही बैठक कर स्पष्ट कार्य आवंटन एवं जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

5.2.3 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक कर विशाल नसबन्दी परिवार कल्याण के प्रचार–प्रसार एवं लाभार्थियों को चिन्हित करने एवं शिविर का लाभ उठाने हेतु प्रेरित करने की कार्यवाही शिविर के एक सप्ताह पूर्व सुनिश्चित कर ली जाये। शिविर में नसबन्दी सहित समस्त परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जायें।

5.2.4 लाभार्थियों के पंजीकरण, परिवहन, बैठके, पानी, प्रकाश आदि, शिविर की सामान्य व्यवस्था एवं संचालन हेतु क्षेत्रीय उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार बनाये जायें।

5.2.5 परामर्श, पंजीकरण, चिकित्सकीय परीक्षण, लैब परीक्षण, शक्लीय सेवाओं (नसबन्दी), शल्य कक्ष सहायकों, शलयोपरान्त देखभाल, औषधि वितरण, धन वितरण एवं लाभार्थी परिवहन हेतु अधिकारी कर्मचारी चिन्हित कर जिम्मेदारी आवंटित कर दी जाये। विशाल शिविर हेतु अन्य नियमों के वाहन भी आवश्यकतानुसार अधिग्रहीत कर लिये जायें। उक्त हेतु उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी जिम्मेदार बनाये जायें।

5.2.6 विशाल परिवार कल्याण शिविर की गतिविधियों के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार बनाये जायें।

5.2.7 उक्त आयोजन की पूर्ण प्रगति रिपोर्ट परिवार कल्याण निदेशालय/शासन को प्रेषित की जाये।

6. दिनांक 21 अक्टूबर, 2000–नगरीय विशाल परिवार कल्याण शिविर

प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर जिला पुरुष अथवा महिला चिकित्सालय में घनी मलिन बस्तियों के निवासियों के लाभार्थ विशाल परिवार कल्याण शिविर आयोजित किया जाये। इस हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी जिला एवं महिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों के साथ बैठक कर रणनीति एवं कार्य योजना बनायेंगे।

6.1 वांछित जन संसाधन चिन्हित कर जिम्मेदारी प्रदान की जायेगी। औषधि एवं अन्य सामग्री शिविर के कम से कम पाँच दिन पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सेवाओं की गुणवत्ता एवं व्यवस्था हेतु जिम्मेदारी बनाये जाये।

6.2 लाभार्थियों के पंजीकरण, परिवहन, बैठने, जल, प्रकाश एवं शिविर की सामान्य व्यवस्था एवं संचालन हेतु नगरीय उप मुख्य चिकित्साधिकारी जिम्मेदारी बनाये जायें।

6.3 नगर विकास विभाग, डूडा का शिविरों के प्रचार–प्रसार एवं लाभार्थियों को चिन्हित करने एवं शिविर का लाभ उठाने हेतु प्रेरित करने और सेवा स्थल तक लाने में सहयोग प्राप्त किया जाये।

6.4 शिविर का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये एवं लाभार्थियों को पाँच दिन पूर्व ही चिन्हित कर लिया जाये।

6.5 उक्त आयोजन की पूर्ण प्रगति रिपोर्ट परिवार कल्याण निदेशालय/शासन को प्रेषित की जाये।

7. दिनांक 22 अक्टूबर, 2000

पुरस्कार वितरण

जिला स्तर पर दिनांक 20 अक्टूबर, 2000 को आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेताओं एवं विशाल परिवार कल्याण शिविर में अधिकतम लाभार्थी वाले ग्राम प्रधानों/कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत करने हेतु एक समारोह आयोजित किया जाये।

7.1 पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता हेतु यथासम्भव जनपद के प्रभारी मंत्री, अन्य मंत्री अथवा किसी निर्वाचित जन प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाये।

7.2 उक्त समारोह हेतु जिलाधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक जिम्मेदार बनाये जायें।

7.3 पुरस्कार स्थल एवं समय का चयन किया जाये। व्यवस्था हेतु आवश्यक प्रबन्ध एक सप्ताह पूर्व कर लिये जायें समारोह का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।

7.4 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

उक्त के अतिरिक्त अपने स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य गतिविधियों को जो जनसंख्या नीति के उद्देश्यों के प्रचार–प्रसार एवं क्रियान्वयन में सहायक हों, करने का कष्ट करें।

आशा है कि आपके नेतृत्व में जनसंख्या समारोह के सफल आयोजन से जनपद में जनसंख्या नीति के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी एवं सामूहिक सहभागिता का वातावरण उत्पन्न किया जायेगा।

भवदीय,

(नरेश दयाल)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डल आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, उत्तरांचल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, उ0प्र0 परिवार कल्याण निदेशालय, जगत नारायण रोड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं उपरोक्त अंकित गतिविधियों के संचालन में समस्त दायित्वो का सजगतापूर्वक निर्वाह की अपेक्षा में।

आज्ञा से,

(नरेश दयाल)
प्रमुख सचिव

POPULATION WEEK (16-22 OCTOBER, 2000)

AWARENSS & SERVICE DELIVERY

Responsible Person	Day/Date	Activity
DM/CMO	Day 1/ 16-10-2000	District Level Meeting & Rally of Pradhans (Ministers MLAs, Chairman Zila Panchayats, Collectors).
CDO	Day 2/ 17-10-2000	Block Level Distribution of मातृत्व लान और बालिका समृद्धि योजना
		Health Check-up for Children and ANC for Women
MNA/PD (DUDA)	Day 2	Bahu-Begum Sammelan (Urban - Slum Area)
DM/CDO/DPRO	Day 3/ 18-10-2000	Block Level Pradhan Orientation (Half District)
DM/CDO/DPRO	Day 4/ 19-10-2000	Block Level Pradhan Orientation (Half District)
DM/DIOS	Day 5/ 20-10-2000	Debate in Every College & High School in District.
DM & CMO	Day 5/ 20-10-2000	Large family Welfare Camp-One CHC (Rural)
DM & CMO	Day 6/ 21-10-2000	Large Family Welfare Camp-One District Hospital (Urban)
DM/CMO/Zila Panchayat	Day 7/ 22-10-2000	Prize Distribution for Winners of Debate & Cultural Programme at District Level & Recognizing Workers/ Pradhans.

Sl.No.	Activity	Start Date	End Date	Responsible Person
3.	Conduct block level training	18-10-2000	19-10-2000	MOIC/BDO/ADO Pachayate
Day 1 (16-10-2000)				
A.	Meeting			
1.	Invitation to Panchayat Members			DM/DPRO
2.	Invitation to Pradhans			DM/CDO/BDO
3.	Invitation to MPs MLAS			DM/SDM
4.	Venue/Rally Route			DM/CDO/SP
5.	Arrangement for Meeting Retreshment			SDM/ADM
6.	Make Banners for Stage and Rally Route			Assistant Director (Information) CDO
7.	Place Cards/Batches			Assistant Director (Information) CDO
B.	**Rally**			
1.	Print media Campaign			Assistant Director (Information) CDO
2.	Press Mobilization			Assistant Director (Information) CDO
C.	Cultural Programme (Evening)			
1.	Identify Suitable Programme			DM/CMO
2.	Venue and Arrangement for Programme			SDM/ADM/DM
Day 2 (17-10-2000)				
1.	Block Level Distribution of			CDO
2.	Health Check-up for Children and ANC for Women			SDM/ADM/DM
2.1	Identify Site			BDO
2.2	Identify district level official and block level officials			CDO/PD
2.3	Arrangements			PD/BDO
2.4	Identify Health Check-up Team			MOIC/CMO
2.5	Identify Health IEC Team			MOIC/CMO
3.	Bahu Begum Sammelan			MNA/PD (DUDA)
3.1	Identify Site			MNA/PD (DUDA)
3.2	Identify Human & Material Resource			MNA/PD (DUDA)
3.3	IEC			MNA/PD (DUDA)
3.4.	Arrangements			MNA/PD (DUDA)

Day 3 & 4 (18 & 19-10-2000) Pradhan Orientation

1.	*Finalize Material for Pradhan*			*SIFPSA*
2.	*Prepare Blockwise Schedule with Resource*			*CDO/BDO/SDM*
	Person			
3.	*Orientation of Resource Person*			*CDO/DDO/DPRO/ZPA*
	(BDO/Block Parmukh/MOIC)			
4.	*Site Identification*			*BDO*
5.	*Arrangements*			*DM/CDO/SP*
6.	*Invitation to Pradhan and member* *Village Health and Family Welfare Committe.*			*Block* *Pramukh /ZPA/BDO*

POPULATION CHMPAIGN (OCTOBER 16-22. 2000)

Sl.No.	Activity	Start Date	End Date	Responsible Person
A.	District Level Initial Coordination Meeting			
1.	Identify Venue and Participants (Heads) of various departments, Zila Parishad Adhvaksh, Zila Parishad Executive Officer, MNA, Nagar, MPs, CMO, Dy. CMOs, CDO, DDO, PD, DPRO, DIOS, DIO, District (ICDS Officer) for meeting.	24-09-2000	26-09-2000	DM/CDO/CMO
2.	Letters of invitation for meeting from DM	24-09-2000	26-09-2000	CDO/CMO
				DM/DPRO
3.	Conduct Meeting	26-09-2000	27-09-2000	DM/CMO
B.	Medical Department Meeting			
1.	Schedule a meeting with Dy. CMOs/ Superintendents/MOICs/DHEIO/HEOs to plan (1) Pradhan orientation (2) Block level health examination camps (3) Sterilisation camps/s/	28-09-2000	30-09-2000	CMO
C.	Departmental Meeting			
1.	Schedule a meeting for officers of the depart-meant for plan dissemination information collection, reporting for final detailed plan.	28-09-2000	30-09-2000	Head of each Department
2.	Collection of Information	30-09-2000	01-10-2000	Head of each Department
D.	District Level Meeting for Finalaising the detailed plan			
1.	Hold meeting and make operational detailed day-wise plan with assigned duties of officers for observation.	04-10-2000	06-10-2000	DM/CMO
2.	Make Schedule of blockwise co-ordination	04-10-2000	06-10-2000	CDO/DIOS/DM/CMO
E.	Block Level Co-ordinations Meeting			
1.	Invitaton	04-10-2000	06-10-2000	DM/Departmental Heads
2.	Conduct meeting for briefing on detailed plans and operational issues.	10-10-2000	12-10-2000	BDO/MOIC/ District level officer
F.	Training of trainers for Panchayat Member orientation			
1.	Schedule a TOT for MOIC/BDO/ADO Panchayat	18-10-2000	09-10-2000	CMO/CDO
2.	Fensure training material and appropriate Site for block level training.	18-10-2000	09-10-2000	CMO/CDO

Sl.No.	Activity	Start Date	End Date	Responsible Person
1.	*Share information about stenlisation camps immunisation in outlying villages distribution to beneficiaries and health checkup. Ensure publicity for increase in the client load.*			
3.	*Conduct Orientation*			*Resource Persons*
Day 5 (19-10-2000) (debate)				
1.	*Debate*			
1.1	*Identify Schools and Observer*			*DIOS/BSA/SDM*
1.2	*Instructions to Principals*			*DIOS*
1.3	*Invitation/Information to Parents and students*			*Principals/ BSA*
1.4	*Conduct debate*			*Principals/ Observer*
1.5	*Invitation to Prize winners for Prize Distributed*			*Observer*
2.	*Family Welfare Camp (Rural)*			
2.1	*Identify Site*			*CMO*
2.2	*Meeting of MOICs and Dy. CMOs for information and clients.*			*CMO*
2.3	*Meeting at workers for clients*			*MOIC/Dy. CMO*
2.4	*Publicity in field*			*Health Staff*
2.5	*Arrangements for seating transport of doctors transport of clients, Refreshment.*			*Dy. CMO/MOIC*
2.6	*Identify Surgeons Gynaecologist paediatrician Lab Technicians.*			*CMO/Dy. CMO*
2.7	*Duties for Counselling Sterilization, Medical Examination internal Examination O.T. Assistance Post Op. Care Medicines Distribution Wages compensation money distribution Transport of client.*			*DHEIO/Dy. CMO/MOIC/CMO CMO/MOIC/CMO*
2.8	*Monitoring*			*CMO*
2.9	*Reporting to State*			*CMO*
Day 6 (21-10-2000) Family Welfare Camp (Urban)				
1.1	*Identify Site*			*CMO/CMS*
1.2	*Meeting of CMO/CMS (Male/Female) & other health department official.*			*CMO/CMS*
1.3	*Identification of Human & Material Resource arrangement.*			*CMO/CMS*
1.4	*Publicity in field*			*Dy. CMO/ (Urban)*
1.5	*Arrangements for seating. Transport of clients & other public conveniences.*			*Dy. CMO (Urnan)*

Sl.No.	Activity	Start Date	End Date	Responsible Person
1.6	*Duties for Counselling. Sterilization. Medical Examination, Internal Examination, O.T. Assistance. Post Op. Care, Medicines Distribution Wages compensation money distribution. Transport of client.*			*CMO/CMS*
1.7	*Monitoring & Reporting to Sate*			*CMO*
Day 7 (22-10-2000) Prize Distribution for Winners of Debate & Cultural Progamme at District Level				*DM/CMO/Zila Panch*
1.	*Collect list of Prize Winner*			*Observer/DIOS*
2.	*Identify Venue/Time for Ceremony*			*DIOS/DM*
3.	*Fix-up Cultural Programme*			*ADM/Assistant Direct (Information)*